कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

ग्वालियर, दिनांकः 28.04.2020

क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/385/2020

।। आ दे श ।।

(अन्तर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता)

ग्वालियर जिले सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 03.05.2020 तक लॉक डाउन है, इस संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांकः 40–3/2020/डीएम–1(ए) दिनांक 15.04.2020 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसक परिपेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सम संख्यक आदेश दिनांक 26.04.2020 जारी किया गया था।

2/ आज दिनांक 28.04.2020 को ग्वालियर जिले की समीक्षा उपरांत दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत उक्तादेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

- किसानों की फसल तथा उनके रखने हेतु बनाए जाने वाले कूप आदि की पानी एवं आंधी से सुरक्षा हेतु ग्वालियर जिले में स्थित तिरपाल एवं रस्सी की दुकानों को आगामी 02 दिवस अर्थात् 30.04.2020 तक प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खोले जाने की छूट प्रदान की जाती है।
- ग्वालियर जिला स्थित शासकीय हॉस्पीटल के आस–पास की मेडीकल दुकानें एवं प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत संचालित जन औषधि केन्द्र, सरदार बल्लभ भाई पटेल दवा वितरण केन्द्र, नर्सिंग होम के अन्दर संचालित मेडीकल दुकानें, महाराजबाड़ा, शहीद हेमूकालानी चौक, मेन्टल हास्पीटल तिराहा स्थित मेडीकल दुकानें (यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथी आदि) प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। उक्त के अतिरिक्त शेष मेडीकल दुकानें प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खुली रहेंगी।
- ग्रामीण क्षेत्र की तरह शहरी क्षेत्र में भी कृषि एवं कृषि उपकरण से संबंधित प्रतिष्ठान, टायर एवं पंचर की दुकानें दिनांक 30.04.2020 तक प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खोले जाने की छूट प्रदान की जाती है।
- ग्रामीण क्षेत्र की तरह शहरी क्षेत्रों में भी शासकीय निर्माण कार्य किये जा सकेंगे अर्थात् प्रतिबंध से मुक्त होंगे। इस हेतु संबधित विभाग के द्वारा ही कर्मचारियों/श्रमिकों को पास जारी किये जावेंगे तथा संबंधित विभाग/एजेंसी को इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांकः 253 बी दिनांक 26.04.2020 में निहित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- ग्वालियर जिला अन्तर्गत नगर निगम/निगम सीमान्तर्गत आने वाले आवासीय परिसरों (सोसायटी/एन्क्लवे/कॉलोनी आदि) के भीतर संचालित डिपार्टमेंटल स्टोर जिनसे आवासीय परिसरों में रहने वाले व्यक्ति ही सामान क्रय करते हों, आगामी दो दिवस अर्थात् दिनांक 30.04.2020 तक प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

रिमार्क– उक्त छूट/प्रतिबंध में शिथिलता कोरोना प्रभावित कन्टेन्मेंट क्षेत्र में लागू नहीं होंगी।

3/ संबंधित दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग एवं भारत सरकार द्वारा जारी कोविड 19 हेतु जारी गाइड लाइन का पालन करते हुए किसानों को उक्तानुसार सामग्री का विक्रय कर सकेंगे।

4/ शेष आदेश यथावत रहेगा।

5/ आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

6/ यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। अपर संचालक जन संपर्क जिले से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर,म0प्र0

Scanned with CamScanner

क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/ 385 /2020 ग्वालियर, दिनांकः 28.04.2020

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
2. ए0डी0जी0/आईजी ग्वालियर रेंज ग्वालियर
3. पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर
4. आयुक्त नगर निगम ग्वालियर
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर
6. समस्त अपर कलेक्टर/एडीएम
7. समस्त इन्सीडेंट कमान्डर्स
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर
9. जिला आपूर्ति नियंत्रक ग्वालियर
10. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ग्वालियर
11. आरटीओ ग्वालियर
12. जिला आबकारी अधिकारी ग्वालियर
13. जनसम्पर्क अधिकारी जिला ग्वालियर।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर,म0प्र0

Scanned with CamScanner